भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 277**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

विशेष आर्थिक क्षेत्र मानदंड

277. श्री वैजयंत पांडा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अर्धचालक या इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे बनाने वाली विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों के लिए भूखंड के न्यूनतम आकार को कम कर दिया हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ऐसी अर्धचालक इकाइयों को निर्यात के अलावा शेष भारत में आपूर्ति करने की भी अनुमति देती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लागू कर की दर और शुल्क क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ख): सेमिकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक घटकों में विनिर्माणकारी सुविधा केन्द्रों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 5 को दिनांक 3 जून, 2025 की अधिसूचना जीएसआर 364 (अ) के जरिए संशोधित किया गया है, ताकि विशेष रूप से सेमिकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की स्थापना हेतु न्यूनतम सन्निहित भूमि क्षेत्र की आवश्यकता को 50 हेक्टेयर से घटाकर 10 हेक्टेयर किया जा सके।

(ग) से (घ): विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 30 के अनुसार, सेमीकंडक्टर इकाइयों सहित एसईजेड इकाइयों को, जहां लागू हो, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के तहत एंटी-डंपिंग, काउंटरवेलिंग और संरक्षोपाय शुल्क सहित लागू सीमा शुल्क का भुगतान करके देश में घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अपने उत्पादों की आपूर्ति करने की अनुमति है, जैसा ऐसी वस्तुओं पर आयात करने पर लगाया जाता है।

*****